

**दिनांक 19.09.2024 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में
सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक)
का कार्यवृत्त:-**

दिनांक 19.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला जनसूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-महाराजगंज, सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU के प्रोजेक्ट क्वार्टिनेटर, समस्त ISA आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				Balance
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	
1	Tube well	348	29.07.2024	334	327	302	273	14/7/25/29
			19.09.2024	334	331	319	285	14/3/12/34
				0-25%	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2	OHT	343	29.07.2024	68	49	42	33	21
			19.09.2024	44	35	67	70	23
3	Pump House	348	29.07.2024		109		131	108
			19.09.2024		80		155	93
4	Pipe Line (Km.)	3277	29.07.2024			3041		236
			19.09.2024			3049		228
5	FHTC	181123	29.07.2024			168251		12872
			19.09.2024			170539		10584
6	Solar	233	29.07.2024	Complete	WIP		Not Started	-
			19.09.2024	141	15		77	-
				148	20		65	-
7	DG	233	29.07.2024	Complete			Balance	-
			19.09.2024		10		223	-
					52		181	-
8	Regular Water Supply	446	29.07.2024			40		406
			19.09.2024			58		390
9	Boundary wall	348	19.09.2024	Complete	WIP		Not Started	-
				210	37		101	-

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 22 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 3 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये निर्देश दिये गये। यदि 10अक्टूबर, 2024 तक समस्याओं का निराकरण उपरान्त सभी पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्धित फर्म उत्तरदायी होंगे। फर्म द्वारा नलकूप की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि 20 अक्टूबर 2024 तक समस्त 334 नलकूपों के निर्माण, कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 56 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व माह-सितम्बर 2024 में 25, अक्टूबर में 40, नवम्बर में 70 व दिसम्बर में 70 पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जीओआईओ पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये तथा बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि अगले 20 दिनों के अन्दर सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये व फर्म को निर्देश दिये गये कि प्राप्त प्राक्कलनों के सापेक्ष अवशेष भुगतान एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स स्थितिक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tubewell	210	29.07.2024	204	182	182	84	622098
			19.09.2024	204	190	190	102	614088
				0.35%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
2	OHT	205	29.07.2024	20	21	93	31	4
			19.09.2024	25	24	97	34	7
3	Pump House	210			0.50%		50-100%	-
			29.07.2024		47		86	77
			19.09.2024		49		96	65
4	Pipe Line (Km.)	2104	29.07.2024			1788		316
			19.09.2024			1810		294
			29.07.2024			72390		18626
5	FHTC	91016	19.09.2024			74510		16506
6	Solar	191		Complete		WIP		Not Started
			29.07.2024	57		37		97
			19.09.2024	85		41		65
7	DG	191			Complete			Balance
			29.07.2024		0			191
			19.09.2024		2			189
8	Regular Water Supply	345	29.07.2024			60		285
			19.09.2024			65		280
9	Boundary wall	210	19.09.2024	Complete		WIP		Not Started
				47		60		103

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष वर्तमान में 10 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें से 8 परियोजनाओं की भूमि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में फर्म व अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद के निस्तारण हेतु रोस्टर बनाते हुये निर्देश दिये गये। यदि 10अक्टूबर के बाद कोई भी पेयजल योजना अनारम्भ रहती है तो उसके लिये सम्बन्धित फर्म उत्तरदायी होंगे। फर्म को निर्देश दिये गये कि 20 अक्टूबर 2024 तक समस्त 210 नलकूपों के निर्माण, कम्प्रेसर, ओपीओ यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 65 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व माह-सितम्बर 2024 में 40, अक्टूबर में 50, नवम्बर में 80 व दिसम्बर में 60 पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जी0आई0 पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये तथा बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये। शिरोपरि जलाशय की प्रगति में वांछित सुधार ना होने व रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति के कारण 0.50 प्रतिशत एल0डी0 अध्यारोपित करने कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि अगले 20 दिनों के अन्दर सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये व फर्म को निर्देश दिये गये कि प्राप्त प्राक्कलनों के सापेक्ष अवशेष भुगतान एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

S.No.	Item	Target	Meeting Date	Achievement				
				Drilling	Compressor	O.P. Unit	Pump Lowering	Balance
1	Tube well	180	29.07.2024	180	173	164	101	079.63
			19.09.2024	180	176	168	114	042.54
				8.33%	25.50%	50.75%	75.99%	100%
2	OHT	174	29.07.2024	30	75	33	4	11
			19.09.2024	10	40	35	30	19
					0.50%		50-100%	-
3	Pump House	180	29.07.2024		44		76	60
			19.09.2024		45		85	50
						1444.50		447.90
4	Pipe Line (Km.)	1892.40	29.07.2024			1506.00		386.40
			19.09.2024			63.00		323.40
						648.78		352.82
5	FHTC	100163	29.07.2024					
			19.09.2024					
				Complete	WIP		Not Started	-
6	Solar	156	29.07.2024	47	87		42	-
			19.09.2024	55	62		39	-
					Complete		Balance	-
7	DG	156	29.07.2024		29		121	-
			19.09.2024		35		115	-
						17		135
8	Regular Water Supply	302	29.07.2024			29		273
			19.09.2024					
				Complete	WIP		Not Started	-
9	Boundary wall	180	19.09.2024	95	25		60	

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर है। फर्म को निर्देश दिये गये कि 20 अक्टूबर 2024 तक समस्त 180 नलकूपों के निर्माण, कम्प्रेसर, ओपीयू यूनिट व पम्प अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

फर्म के द्वारा की जा रही नियमित जलापूर्ति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया, जिस पर फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक 29 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है व समस्त पेयजल योजनाओं पर माह-दिसम्बर 2024 तक जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। जिसके क्रम में निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर 2024 तक समस्त योजनाओं पर गृह संयोजन (FHTC) में जी0आई0 पाइप लगाते हुये क्लोरीन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाये तथा बिछाई गयी समस्त पाइप लाइन का हाइड्रोटेस्टिंग करते हुये 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराने के निर्देश दिये गये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये।

शिरोपरि जलाशय की प्रगति में वांछित सुधार ना होने व रोड रेस्टोरेशन की धीमी प्रगति के कारण 0.50 प्रतिशत एल0डी0 अध्यारोपित करने कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि अगले 20 दिनों के अन्दर सभी पेयजल योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाये व फर्म को निर्देश दिये गये कि प्राप्त प्राक्कलनों के सापेक्ष अवशेष भुगतान एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे०वी०) - रिथविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि रेलवे से समन्वय स्थापित करते हुये पाइप लाइन की क्रॉसिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त की जा रही है व समयान्तर्गत रेलवे क्रॉसिंग का कार्य करा दिया जायेगा। साथ ही अवगत कराया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करते हुये कार्यवाही की जा रही है। निर्देश दिये गये कि अगली बैठक से पूर्व प्रत्येक विकास खण्ड से 10-10 ग्रामों के रोड रेस्टोरेशन का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कराते हुये रिपोर्ट प्राप्त की जाये।

(कार्यवाही:-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

(3) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 5040 विन्दुओं की निस्तारण आख्या फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका परीक्षण TPIA द्वारा किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा तीनों फर्मों के कार्यों में पायी गयी 10-10 क्रिटिकल कमियों की आपत्ति व उसका निस्तारण रिपोर्ट को अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। शिरोपरि जलाशय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

उक्त के अतिरिक्त अधिशाली अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये कि डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) को नोटल बनाकर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये भूमि विवाद का निस्तारण करावें।

(अनुमय झा)
आइ०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1706 / विविप-40 / 133 दिनांक: 01.10.2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
9. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
10. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।